

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं०- वि०प्रा०/कौ०-19/2025

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या-2,
दुमका।

विषय:- जिला विज्ञान केन्द्र तथा तारामंडल, दुमका के परिसर में जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु डीप बोरिंग संबंधी प्राक्कलित राशि रु० 5,43,900/- (रु० पांच लाख तेतालीस हजार नौ सौ) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत दुमका जिला में निर्माणाधीन तारामंडल एवं जिला विज्ञान केन्द्र के परिसर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं न्यायपरिषद द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या-2, दुमका का पत्रांक 538 दिनांक 19.05.2022 द्वारा दो डीप बोरिंग (200 mm X165mm X200.00 M deep high yield drilled tube well) कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल प्राक्कलित राशि रु० 5,43,900/- (रु० पांच लाख तेतालीस हजार नौ सौ) मात्र का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। तत्पश्चात दुमका तारामंडल तथा जिला विज्ञान केन्द्र के परिसर में जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु दो डीप बोरिंग कार्य के निमित्त विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 24/योजना दिनांक 10.12.2025 द्वारा कुल रु० 5,43,900/- (रु० पांच लाख तेतालीस हजार नौ सौ) मात्र का घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त कार्य के निमित्त कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या-2, दुमका का पत्रांक 266 दिनांक 27.02.2023 द्वारा राशि की अधियाचना की गयी है। विषयांकित कार्य से संबंधित अबतक कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गयी है।

अतः दुमका तारामंडल तथा जिला विज्ञान केन्द्र के परिसर में जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु दो डीप बोरिंग कार्य के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 24/योजना दिनांक 10.12.2025 के आलोक में कुल रु० 5,43,900/- (रु० पांच लाख तेतालीस हजार नौ सौ) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राशि की निकासी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष-06-तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेक्निक/खान्नु संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

विपत्र कोड - 43S42020210506010545

4. विषयांकित कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या-2, दुमका की होगी जो विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निष्पादित किया जायेगा।
5. कार्य की प्रगति के संबंध में पर्यवेक्षण कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद (JCSTI) द्वारा करते हुए प्रतिवेदन विभाग को समर्पित की जायेगी।
6. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या-2, दुमका, झारखण्ड होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्ययन झारखण्ड PWD कोड के आलोक में आवश्यक औपचारिकताएँ पूरा करते हुए सुनिश्चित करेंगे।
7. कार्य पूर्ण करने के अवधि 07 दिन होगी।
8. राशि की निकासी जिला कोषागार, दुमका से की जायेगी।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्रांक 2561 दि० 17.04.98 में निहित दिशानिर्देश एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों में निर्दिष्ट अनुदेशों के आलोक में की जाएगी।
10. झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग के संकल्प सं० 118 दिनांक 12.01.2007 में वित्तीय प्रबंधन के संबंध में दिये गये निदेश का अनुपालन की जायेगी।
11. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि व्यय के एक माह के भीतर कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या-2, दुमका झारखण्ड द्वारा झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद (JCSTI) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
12. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग या अपवर्तन नहीं किया जायेगा, यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन निश्चित तौर पर किया जायेगा।
14. स्वीकृत राशि का अंकेक्षण का अधिकार वित्त विभाग (अंकेक्षण) एवं महालेखाकार झारखण्ड राँची का होगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा०/कौ०-19/2025

/राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

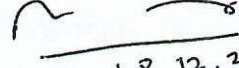
ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा०/कौ०-19/2025/23/बजट

/राँची, दिनांक:- 24.12.2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18.12.25
सरकार के प्रधान सचिव